भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1059

सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946, (शक)

महिला गिग कामगारों की सुरक्षा और कल्याण

1059. श्री लावू श्री कृष्णा देवरायलु:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या सरकार के पास देश में महिला गिग कामगारों की संख्या के संबंध में आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य और क्षेत्र-वार वर्गीकृत महिला गिग कामगारों की संख्या कितनी है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का महिला गिग कामगारों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने महिला गिग कामगारों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): नीति आयोग द्वारा जून 2022 में प्रकाशित "भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था" शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, देश में महिलाओं सहित गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की संख्या 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जिसकी 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने की संभावना है।

पहली बार, 'गिग कामगारों' और 'प्लेटफॉर्म कामगारों' की परिभाषा और इससे संबंधित उपबंध सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में उपलब्ध कराए गए हैं, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

जारी..2/-

इस संहिता में, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय तैयार करने का प्रावधान है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स को ई-श्रम पोर्टल पर स्वयं को तथा उनके साथ जुड़े प्लेटफॉर्म कामगारों को पंजीकृत करने के लिए एक परामर्श जारी किया गया है और इसके बाद, पोर्टल पर आसान ऑनबोर्डिंग के लिए एक एग्रीगेटर मॉड्यूल भी शुरू किया गया।

अन्य बातों के साथ-साथ गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण लाभ प्रदान करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सुझाव देने हेतु हितधारकों के प्रतिनिधियों वाली एक समिति गठित की गई है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के गिग कामगारों के योगदान को देखते हुए, सरकार ने दिनांक 1.2.2025 को अपनी बजट घोषणा में उनके पहचान-पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था करने और पीएमजेएवाई स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

***